

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
65/22	88, 89, 91, 92 A 188 RTA	तेलगा	२०३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दाखवादी	बनाम	मुख्या	

वकील :- *श्री. राजेश कुमार सिंह*

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

28/6/22

आवेदनकर्ता, प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 92 A वि. श. ए. द. प्रतिवादी के उक्त - माफीलय में पेश किया गया रिपोर्ट सही स्ती की अन्वेषण कि, प्रकरण दर्ज सही स्तर किर्मा जाके तथा अन्वेषण में परिचय सम्पन्न तलव कर पत्रावली दिनांक 2/8/22 को पेश हो।

28/22

पत्रावली - पेश हुई। कमील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी उक्त 2 की वाद तालिम सम्पन्न भारत। वाद तालिम सम्पन्न के बाद भी प्रति. उक्त 2 अनुपस्थित है। उनके वि. श. ए. द. एक तरफा कार्य वादी की जाती है। प्रति. उक्त 1 की तलवी हेतु तलवनी पेश करें। वस्ते तलवी पत्रावली दिनांक 10/10/22 को पेश हो।

10/10/22 आज पीठासीन अधिकारी के ~~अवकाश~~ ^{आवकाश} व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3.8.11.22 को पेश हो।

(नाम) के द्वारा
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छवड़ा (बारा)

सीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छवड़ा (बारा)

30/11/22

आज पीठासीन अधिकारी के ~~अवकाश~~ ^{आवकाश} व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/10/23 को पेश हो।

सीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छवड़ा (बारा)

दिनांक

3.12.24

प्रधानमंत्री के उद्देश्य के तहत कृषि न सफल करी
 उद्योग नहीं है कृषि न सफल करी करी
 रोज का आकार लगाना रोज कावक्य इत्यादि
 के माध्यम से उद्योग नहीं है कृषि न सफल करी
 का उद्योग हाथी कृषि नहीं है कृषि न सफल करी
 जाल से प्रधानमंत्री के उद्देश्य के तहत कृषि न सफल करी
 कृषि के माध्यम से उद्योग नहीं है

